प्रेषक

प्रधानाचार्य,
लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा,
सिंचाई भवन, 'बी' ब्लाक, पंचम तल,
सैक्टर 5, पंचकूला ।

दूरभाष : 0172–2573875

सेवा में

हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष

यादि कमांक टीए– (एटीआई)2013/ 1391–1487
दिनांक 13/8/2013

विषयः– **स्टेट एस0ए0एस0,भाग–II का प्रशिक्षण – चतुर्थ कोर्स ।**

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

आपको सूचित किया जाता है कि **एस0ए0एस0 पार्ट–I उत्तीर्ण** कर्मचारियों को लेखा प्रशिक्षण देने हेतु विषयाधीन कोर्स दिनांक **07.10.2013 से 29.11.2013** तक लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा, पंचकूला में आरम्भ किया जा रहा है । इस कोर्स की अवधि 8 सप्ताह की होगी । इस प्रशिक्षण की विशेष बातें निम्नलिखित हैः –

1. जो कर्मचारी एस0ए0एस0, भाग–II का आठ सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है तो कृपया ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिये न भेजा जाये ।
2. कर्मचारियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता नियम 2.88 सी0एस0आर0, खंड–III तथा अन्य सम्बन्धित अनुदेशों के अधीन सम्बन्धित विभाग से मिलेगा ।
3. संस्थान के पास प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने के लिये छात्रावास का कोई प्रबन्ध नहीं है अतः उन्हें ठहरने का प्रबन्ध स्वयं करना होगा ।

इसलिये आपसे अनुरोध है कि आप अपने विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से एस0ए0एस0 पार्ट–I के **उत्तीर्ण** कर्मचारियों के नाम इस कोर्स में एस0ए0एस0. भाग–II का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दिनांक 16.09.2013 तक भेजना सुनिश्चित करें ताकि प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जा सके । संस्थान में एस0ए0एस0 कक्षा में 30 से 35 प्रशिक्षणार्थियों के बैठने की व्यवस्था है । यदि इससे अधिक संख्या में उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश होती है तो शेष उम्मीदवारों को एस0ए0एस0 भाग–II के आगामी कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा । यह परिपत्र निदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग, हरियाणा की वैबसाइट http://www.hrtreasuries.gov.in/ATI.htm. से भी डाउनलोड किया जा सकता है ।

प्रधानाचार्य,
लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा,
पंचकूला ।

पृ0कमांक टीए–(एटीआई)2013/ दिनांक

इसकी एक प्रति हरियाणा राज्य के सभी बोर्डज, निगमों तथा विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है । यदि वह अपने कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के एस0ए0एस0 भाग–I उत्तीर्ण कर्मचारी को एस0ए0एस0,भाग–II का प्रशिक्षण दिलवाना चाहते हैं तो उन्हें प्रत्येक कर्मचारी के लिये अपने कार्यालय से राशि 4000/– रुपये (चार हजार रूपये) की फीस ड्राफ्ट द्वारा जमा करवानी होगी जोकि प्रशिक्षणार्थी कोर्स ज्वाइन करने के समय जमा करवाएगा । **जिन कर्मचारियों ने पहले एस0ए0एस0, भाग–II का आठ सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है तो ऐसे कर्मचारियों के नामों की सिफारिश न की जाये** । फीस का ड्राफ्ट प्रधानाचार्य, लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा के पक्ष में पंचकूला में ही देय होना चाहिये । प्रशिक्षण पर भेजने के लिये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लेना संस्थान/निगम/बोर्ड/विश्वविद्यालय की अपनी जिम्मेवारी होगी ।

प्रधानाचार्य,
लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा,
पंचकूला ।